M.P.HIGHER JUDICIAL SERVICE MAIN EXAMINATION - 2019

अनुक्रमांक/Roll	No.				
,	No. c	f Pri	nted]	Pages	: 6

Total No. of Questions: 12

कुल प्रश्नों की संख्या : 12

No. of Printed Pages : 6 मुद्रित पृष्ठों की संख्या : 6

Third Question Paper तृतीय प्रश्न-पत्र CRIMINAL LAWS & PROCEDURE अपराध विधि एवं प्रक्रिया

समय — 3:00 घण्टे Time – 3:00 Hours पूर्णांक — 100 Maximum Marks — 100

निर्देश :-Instructions :-

1. All questions are compulsory. Answer to all Questions must be given in one language either in Hindi or in English.

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर हिन्दी अथवा अंग्रेजी एक भाषा में ही देने हैं।

.2. Write your Roll No. in the space provided on the first page of Answer-Book or Supplementary Sheet. Writing of his/her own Name or Roll No. or any mark of identification in any form or any Number or Name or Mark, by which the Answer Book of a candidate may be distinguished/ identified from others, in any place of the Answer Book not provided for, is strictly prohibited and shall, in addition to other grounds, entail cancellation of his/her candidature.

उत्तर पुस्तिका अथवा अनुपूरक शीट के प्रथम पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर ही अनुक्रमांक अंकित करें। उत्तर पुस्तिका में निर्दिष्ट स्थान के अतिरिक्त किसी स्थान पर अपना नाम या अनुक्रमांक अथवा कोई क्रमांक या पहचान का कोई निशान अंकित करना जिससे कि परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका को अन्य उत्तर पुस्तिकाओं से अलग पहचाना जा सके, सर्वथा प्रतिषिद्ध है और अन्य आधारों के अतिरिक्त, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त किये जाने का आधार होगा।

- 3. In case there is any mistake either or printing or of a factual nature, out of the Hindi and English versions of the question, the English version will be treated as standard.
 - यदि किसी प्रश्न में किसी प्रकार की कोई मुद्रण या तथ्यात्मक त्रुटि हो, तो प्रश्न के हिन्दी तथा अंग्रेजी रूपांतरों में से अंग्रेजी रूपांतर मानक माना जायेगा।
- 4. Writing of all answers must be clear & legible. If the writing of Answer Book written by any candidate is not clear or is illegible in view of Valuer/Valuers then the valuation of such Answer Book may not be considered. सभी उत्तरों की लिखावट स्पष्ट और पठनीय होना आवश्यक है। किसी परीक्षार्थी के द्वारा लिखी गई उत्तर—पुस्तिका की लिखावट यदि मूल्यांकनकर्त्ता / मूल्यांकनकर्त्ता गण के मत में अस्पष्ट या अपठनीय होगी तो उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा।

P.T.O.

INDIAN PENAL CODE, 1860 भारतीय दण्ड संहिता, 1860

- 1.(A) Whether a Hindu husband converting to Islam and marrying again with other woman will be guilty of bigamy? Explain with relevant provision of IPC and case laws.
- (अ) क्या एक हिन्दू पित मुस्लिम धर्म में परिवर्तन के उपरान्त यदि किसी अन्य स्त्री से दुबारा विवाह करता है, तब वह द्विविवाह का दोषी होगा ? भारतीय दण्ड संहिता में वर्णित सुसंगत प्रावधानों एवं न्याय दृष्टान्तों के साथ स्पष्ट करें ?
- (B) Point out the differences in the penal provisions of Part-I and Part-II of Section 304 and Section 304A of the IPC? Answer by giving specific illustrations.
- (ब) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 के भाग I एवं भाग II तथा धारा 304ए में अंतरों को इंगित कीजिए। विशिष्ट दृष्टांतों द्वारा उत्तर दीजिए।
- 2. "Criminal sharing, overt or covert, by active presence or by distant direction making out a certain measure of jointness in the commission of the act is the essence of the theory of common intention". Critically examine the above statement by referring to leading decisions on the point.
 - "आपराधिक साझेदारी, गुप्त या प्रकट, सक्रिय उपस्थिति से या दूरस्थ निदेश द्वारा, जिससे कार्य के किये जाने में कतिपय माप की संयुक्तता का पता लगता है, सामान्य आशय के सिद्धान्त का सार है"। इस बिंदु पर प्रमुख निर्णयों को संदर्भित करते हुए उपरोक्त कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- 3. (A') 'A' was surrounded by x,y,z and four unknown persons, who all were armed with lathi, axe and gandasa. All the aforesaid persons launched an attack on 'A', who sustained fracture of parietal and frontal bones of skull with other numerous injuries which all cumulatively could have caused his death and was hospitalized for a month. State the offences, which have been committed by the accused persons.
 - (अ) 'अ' को क,ख,ग व चार अज्ञात व्यक्तियों जो सभी लाठी, कुल्हाड़ी एवं गड़ासें से सिजित थे के द्वारा घेरा गया। उपरोक्त सभी व्यक्तियों द्वारा 'अ' पर हमला किया गया जिसमें 'अ' को सिर के पाष्टिर्वक एवं अग्रभाग में अस्थि भंग की चोट के साथ अनेक चोटें कारित हुई जिनके संचयी प्रभाव से 'अ' की मृत्यु हो सकती थी एवं 'अ' एक माह तक अस्पताल में भर्ती रहा।अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराधों को स्पष्ट करें।
 - (B) 'A', 'B', 'C', 'D' and 'E' broke into a house during night. 'A' and

'B' carried instruments useful for house breaking, 'C' and 'D' carried knives and 'E' a revolver. As 'C' was snatching a gold chain forcibly from an inmate, another inmate 'P' pointed a gun on him. Before 'P' could shoot, 'E' shot him dead. All the intruders escaped with the golden chain and other ornaments. Outside the house a neighbor 'N' attempted to catch hold of 'D' killed him by stabbing. What are the offences for these five may be charged? Is it possible to plead the right of private defence with respect to killing of 'P'.

(ब) 'अ','ब','स','द', एवं 'य' रात्री में मकान में प्रवेश भेदन करते है 'अ' व 'ब' गृह भेदन हेतु उपयोगी उपकरण लिये थे। 'स' व 'द' चाकू व 'य' रिवाल्वर रखे थे। जब 'स' बलपूर्वक एक रहवासी की सोने की चैन छीन रहा था, दूसरे रहवासी 'प' ने उन पर बन्दूक तान दी। 'प' के द्वारा गोली चलाने के पूर्व ही 'य' ने 'प' को गोली मार दी। सभी आक्रामक सोने की चैन व अन्य जेवरों के साथ फरार हो गये। मकान के बाहर एक पड़ोसी 'न' ने उन्हे पकड़ने का प्रयास किया किन्तु 'द' ने उसे चाकू से मार डाला। इन पाँचों को किस अपराध के लिये आरोपित किया जायेगा। क्या 'प' की मृत्यु के सम्बन्ध में प्रायवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का अभिकथन किया जाना संभव है ?

CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1973 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973

4. Can a Sessions Judge issue summons separately u/s 193 CrPc as a court of original Jurisdiction or will he have to wait till the stage u/s 319 CrPc was reached, in order to take recourse there to?

क्या एक सत्र न्यायाधीश द.प्र.सं. की धारा—193 के तहत् पृथक रूप से मूल क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय की तरह आदेशिका जारी कर सकता है या उसे द.प्र.सं. की धारा—319 के स्तर तक पहुंचने का इंतजार उस क्रम में वहाँ ले जाने के लिए करना होगा ?

5. How a Magistrate can exercise the power granted u/s 156 (3) CrPc, explain and differentiate it with power u/s 202 (3) CrPc in the light of case laws?

एक मजिस्ट्रेट किस तरह से द.प्र.सं. की धारा 156 (3) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का उपयोग कर सकता है, इसे स्पष्ट कीजिए और इसे द.प्र.सं. की धारा 202 (3) के तहत् प्रदत्त शक्तियों से विभेदित कीजिए ?

- 6. What shall be the effect of following defects in a criminal trial? Explain referring to relevant provisions of Criminal Procedure Code.
 - (a) The charge is defective.

- (b) The prosecution evidence is closed after two or three opportunities leaving few important witnesses unexamined.
- (c) Judgment of conviction and sentence delivered in absence of accused.
- (d) After closure of defence evidence, certain important prosecution witnesses are summoned for being examined.

किसी आपराधिक विचारण में निम्न त्रुटियों का क्या प्रभाव होगा ? द.प्र.स. के सुसंगत प्रावधानों को उद्धृत करते हुये स्पष्ट करें—

- (1) आरोप त्रुटिपूर्ण है।
- (2) कुछ महत्वपूर्ण साक्षीगण को परीक्षित किये बिना ही दो या तीन अवसर प्रदान करने के उपरान्त अभियोजन साक्ष्य समाप्त कर दी गई।
- (3) आरोपी की अनुपस्थिति में दोषसिद्धी व दण्डादेश का निर्णय पारित किया गया है।
- (4) बचाव साक्ष्य समाप्त होने के उपरान्त कुछ महत्वपूर्ण अभियोजन साक्षीगण परीक्षण हेतु समन किये गए हैं।

INDIAN EVIDENCE ACT, 1872 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872

- 7. (A) "A" kills his father and himself lodged a First information report narrating the facts at the police station, he was prosecuted for murder on the basis of his own F.I.R. No other evidence was given. "A" subsequently did not plead guilty. Whether the statement of "A" contained in the FIR is admissible and can be basis for his conviction?
 - (अ) "अ" ने अपने पिता की हत्या कर दी और खुद पुलिस थाने में तथ्यों को बयान करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई, एवं उसकी खुद की प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर उसके खिलाफ हत्या के लिए मुकदमा चलाया गया। अन्य कोई प्रमाण नहीं दिया गया। बाद में "अ" ने अपराध के लिए दोषी होना अस्वीकार किया। क्या "अ" का कथन जो प्रथम सूचना रिपोर्ट में हैं, स्वीकार्य है और क्या सजा का आधार हो सकता है?
 - (B) When a witness may be permitted to refresh his memory? Whether a doctor may be permitted to refer the medical books during examination in the Court for the purpose of refreshing his memory?
 - (ब) कब एक साक्षी को अपनी स्मृति ताजा करने की अनुमित दी जा सकती हैं ? क्या एक चिकित्सक न्यायालय में परीक्षा के दौरान अपनी स्मृति ताजा करने के प्रयोजन से चिकित्सा पुस्तकों को उद्घृत करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकता हैं ?

2

8

8.	What are the different kinds of presumptions? Discuss	it in	the
	light of the Evidence Act?		

विभिन्न प्रकार की उपधारणायें क्या हैं, इसकी विवेचना साक्ष्य विधान के प्रकाश में कीजिए ?

8

- 9. (A) Explain the aspect of admissibility of electronic records and requirement of certificate u/s 65B evidence act and when such requirement can be relaxed?
 - (अ) इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डों की ग्राह्यता के स्वरूप को स्पष्ट करें, तथा धारा 65—बी साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत प्रमाण पत्र की आवश्यकता को भी स्पष्ट करें तथा कब इससे छूट दी जा सकती है ?

(B) Explain the evidentiary value of multiple dying declarations?

(ब) एक से अधिक मृत्युकालिक कथन के साक्ष्य संबंधी मूल्यांकन को स्पष्ट करें ? 4

NEGOTIABLE INSTRUMENTS ACT, 1881 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881

10. Can cognizance of offence punishable under section 138 of N.I. Act be taken on the basis of a complaint filed before the expiry of 15 days in view of clause (c) of provisio to section 138 of N.I. Act. If answer of aforesaid is in negative what is the option available to complainant narrate with relevant case law.

क्या धारा 138 के परन्तुक के खण्ड (ग) के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में धारा 138 N.I. Act के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध में दायर परिवाद पर 15 दिवस की अविध के समाप्ति के पूर्व अपराध का संज्ञान लिया जा सकता है ? यदि उपरोक्त का जवाब नकारात्मक है तब परिवादी को उपलब्ध अन्य विकल्पों का सुसंगत न्यायदृष्टान्तों के साथ वर्णन करें ?

8

SC & ST (PREVENTION OF ATROCITIES) ACT, 1989 अनु.जाति और अनु.जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

11. Explain the provisions of Sec. 3(2)(v) SC & ST (P.A.) act also explain the changes brought by 2016 amendment and whether this amendment has retrospective effect?

धारा 3(2)(पांच) अनु.जाति और अनु.जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधानों को स्पष्ट करें, तथा यह भी स्पष्ट करें, कि 2016 के संशोधन के द्वारा क्या परिवर्तन लाया गया है, और क्या संशोधित प्रावधान भूतलक्षी प्रभाव रखते हैं ?

8

MIXED मिश्रित

- 12. Write Short-notes on / संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये: 6+6= 12
- (A) Whether a prayer sending the cheque in dispute to a handwriting expert regarding examination of handwriting can be allowed although the signature is admitted by accused?
- (अ) क्या विवादित चैक की लिखावट की जाँच हस्तलेख विशेषज्ञ से कराये जाने संबंधी प्रार्थना स्वीकार की जा सकती है, हालांकि अभियुक्त ने चैक पर हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं ?
- (B) Whether the accused can be enlarged on anticipatory bail under Sec.438 of the Cr.P.C if the offence is committed under 3(1)(XI) of the SC & ST (P.A.) Act?
- (ब) क्या अभियुक्त को धारा 3(1)(11) अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्चाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराध में धारा 438 दं.प्र.स. के अंतर्गत अग्रिम प्रतिभूति पर रिहा किया जा सकता है ? विवेचन कीजिए।
